



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228909
CG-DL-E-11082021-228909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2998]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943

No. 2998]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3231(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
नया रारा-6	(डूलेट से चंपाई खंड) (मिजोरम राज्य में)	किमी 62.200 से किमी 150.000

[फा. सं. एनएच-14013/12/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3231(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
New NH- 6	Dulte to Champhai section (In the state of Mizoram)	Km. 62.200 to Km. 150.000

[F. No. NH-14013/12/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3232(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 17 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"17.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44ए, सं. 54 [किमी 8.00 से किमी 380.00 (ऐजावल – तुईपांग खंड) और किमी 42.00 से किमी 164.00 (वैरेंगटे – सैरंग खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 54बी, नई रारा सं. 6 [किमी 0.00 से किमी 62.20 सेलिंग से दुल्टे खंड और किमी 62.200 से किमी 150.000 (दुल्टे से चंफई खंड) तक खंड को छोड़कर], 102बी [किमी 246.00 से किमी 124.00 (कवलकुल्ह – तुईवई खंड) तक खंड को छोड़कर], 302 [किमी 0.00 से किमी 115.00 (लुंगलेई – तलाबंग – कावरपईछुआह खंड) तक खंड को छोड़कर], 306ए और नई रारा सं. 502ए के उतने भाग जो मिजोरम राज्य में अवस्थित हैं।	मिजोरम राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/12/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2982(अ), तारीख 28, जुलाई 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3232(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
17	So much of National Highways No.44A, No. 54 [excluding from km 8.00 to km 380.00 (Aizwal-tuipang Section) and Km. 42.00 to Km. 164.00 (Vairengte – Sairang section)], No.54B, New NH No. 6 [excluding from Km. 0.00 to Km. 62.20 Seling to Dulte section and from Km. 62.200 to Km. 150.000 (Dulte to Champhai section)], No. 102B [excluding from Km. 246.00 to Km 124.00 (Kawlkulh – Tuivai section)], 302[excluding from Km. 0.00 to Km. 115.00 (Lunglei - Tlabung – Kawrpuchhuah section)], 306A and new NH No. 502A as are situated within the State of Mizoram.	State Government of Mizoram.

[F. No. NH-14013/12/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2982 (E), dated the 28th July, 2021.